



संख्या : 2998 / जी०एस०(शिक्षा) / A11-250 / 2019

प्रेषक,

स्वाति० एस० भदौरिया,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून, दिनांक 27 फरवरी, 2025

महोदय,

कृपया श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक-231205122600 दिनांक 25.04.2024 एवं इस क्रम में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या : 3647 दिनांक 13.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेन्ट एण्ड साइंसेज, आई०एच०एम०एस० परिसर, बलमद्रपुर, बी०ई०एल० रोड, कोटद्वार को बी०एच०एम०, बी०सी०ए०, बी०एससी०(आई०टी०) एवं बी०बी०ए० पाठ्यक्रम हेतु शैक्षिक सत्र 2024-25 की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम-2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-06 की धारा-33(1) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता सत्र
1	2	3	4	5
01	इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेन्ट एण्ड साइंसेज, आई०एच०एम०एस० परिसर, बलमद्रपुर, बी०ई०एल० रोड, कोटद्वार।	बी०एच०एम० बी०एससी०(आई०टी०)	90 60	2024-25

(1) निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह के अवधि के भीतर उपलब्ध करायें।

(2) विश्वविद्यालय, शैक्षिक सत्र 2024-25 के अन्त तक संस्थान से प्राभूति यू०जी०सी० विनियम एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 649, दिनांक 14.12.2016 के अनुसार बंधक रखवाना सुनिश्चित करेगा, विश्वविद्यालय अग्रेत्तर सत्र का प्रस्ताव प्राभूति सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की दशा में मा० कुलाधिपति सचिवालय को अग्रसारित करें, प्राभूति अपूर्ण होने की दशा में शैक्षिक सत्र 2025-26 के प्रस्ताव पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

(3) संस्थान में बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु नियामक संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 से अनुमोदन/स्वीकृति अपेक्षित है, संस्थान द्वारा नियामक संस्था से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम की शैक्षिक सत्र 2024-25 की सम्बद्धता पर विचार किया जाएगा।

(4) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीया,

Signed by
Swati Srivastava Bhadauria

Date: 25-02-2025 14:39:36 (स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या : 2998 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A11-250/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य-सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

Signed by
Shri Laxman Ram Arya

Date: 27-02-2025 11:51:26
(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के अनुसचिव।